प्रारंभिक परीक्षा

भारत में गंगा नदी के डॉल्फिन की संख्या का पहला अनुमान

संदर्भ

भारत ने देश में एकमात्र नदी डॉल्फिन**,** गंगा डॉल्फिन का अपना पहला विस्तृत जनसंख्या सर्वेक्षण किया है।

जनसंख्या सर्वेक्षण के बारे में -

- **कुल अनुमानित जनसंख्या**: 6,234
    - **गंगा बेसिन की जनसंख्या**: 5,689
    - **ब्रह्मपुत्र बेसिन की जनसंख्या**: 635
    - **ब्यास नदी:** 3 (सिंधु नदी डॉल्फ़िन)
- **राज्यवार डॉल्फिन जनसंख्या:**
    - **उत्तर प्रदेश:** 2,397 (सर्वाधिक)
    - **बिहार:** 2,220
    - **पश्चिम बंगाल:** 815
    - **असम:** 635
- **बिहार:** आदर्श नदी आकारिकी और अधिक जल गहराई के कारण डॉल्फिन के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य।
    - **चौसा-मनिहारी खंड (590 किमी)**: **1,297 डॉल्फ़िन**, जो इसे भारत में **सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बनाता है।**
- यह अध्ययन भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा राज्य वन विभागों और गैर-लाभकारी संगठनों जैसे कि आरण्यक, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, टर्टल सर्वाइवल अलायंस और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया गया था।

नदी डॉल्फ़िन के प्रकार -

- **फैकल्टेटिव नदी डॉल्फिन (मीठे पानी और समुद्री वातावरण दोनों में पाई जाती हैं)**
    - **इरावदी डॉल्फिन**: चिल्का झील (भारत) और सुंदरवन में पाई जाती हैं।
        - चिल्का झील में अनुमानित जनसंख्या: 155
    - विश्व भर में अन्य फैकल्टेटिव डॉल्फिन:
        - टुकुक्सी (अमेज़न और ओरिनोको नदियाँ)।
        - यांग्त्ज़े पंखरहित शिंशुमार (चीन)।
- **ऑब्लिगेट नदी डॉल्फिन (केवल मीठे पानी के निकायों में पाई जाती हैं)**
    - **यांग्त्ज़ी नदी डॉल्फिन (चीन):** विलुप्त मानी गई, अंतिम बार 2007 में देखी गई।
    - **अमेज़न नदी डॉल्फिन**: 2.5 मीटर से अधिक लंबी, विशिष्ट गुलाबी रंग।
    - **गंगा नदी डॉल्फिन**: गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और कुछ सहायक नदियों में पाई जाती है।
        - सबसे बड़ी नदी डॉल्फ़िन में से एक (2.5 मीटर से अधिक)।
    - **सिंधु नदी डॉल्फिन:** गंगा डॉल्फिन से निकट संबंधी।
        - पंजाब का राज्य जलीय पशु
        - ब्यास नदी और हरिके आर्द्रभूमि (तरन तारन जिला, पंजाब) में पाई जाती है।
        - अध्ययन में केवल 3 डॉल्फ़िन पाई गई।
        - पाकिस्तान की सिंधु नदी में लगभग 1,800 डॉल्फ़िन हैं।

गणना कैसे आयोजित की गई?

- **नदी डॉल्फिन की गिनती में चुनौतियाँ:**

- भूमि पर रहने वाले जानवरों के विपरीत, डॉल्फिन अपना अधिकांश समय पानी के अंदर बिताती हैं तथा हवा के लिए केवल कुछ समय के लिए ही सतह पर आती हैं।
- मलमूत्र, पैरों के निशान या डीएनए नमूने जैसे कोई निशान नहीं छोड़ती हैं।

- **प्रयुक्त पद्धति:** दृश्य और ध्वनिक सर्वेक्षणों का संयोजन
  - **दृश्य सर्वेक्षण**:
    - नावों पर सवार दो टीमों ने डॉल्फिन के दर्शन दर्ज किए।
    - नाव से दूरी, आयु (वयस्क/नवजात) और क्या यह वही डॉल्फिन थी जिसे पहले देखा गया था, जैसे विवरण दर्ज किए गए।
  - **ध्वनिक सर्वेक्षण**:
    - प्रतिध्वनि-स्थान ध्वनियों को पकड़ने के लिए **हाइड्रोफोन (पानी के नीचे का माइक्रोफोन) का उपयोग किया गया।**
    - ध्वनि विश्लेषण से **उच्च सटीकता** के साथ **विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिली**।
  - अंतिम गणना के लिए दोनों विधियों के डेटा को सहसंबंधित करने हेतु गणितीय मॉडलिंग का उपयोग किया गया।

गंगा डॉल्फिन के लिए खतरा -

- **मछली पकड़ने के जाल में आकस्मिक उलझना।**
- **प्रदूषण** (रासायनिक अपशिष्ट, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट)।
- बांधों और बैराजों जैसे **नदी परिवर्तनों के कारण आवास विनाश।**
- **अवैध उपयोग:** कुछ डॉल्फिनों को अवसरवादी तरीके से उनके ब्लबर तेल के लिए मार दिया जाता है, जिसका उपयोग भारत और बांग्लादेश में कैटफ़िश मछली पकड़ने के लिए चारे के रूप में किया जाता है।

प्रमुख संरक्षण पहल -

- **राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (एनडीआरसी):** पटना (बिहार) में गंगा डॉल्फिन के लिए भारत की पहली समर्पित अनुसंधान सुविधा।
- **विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य:** भागलपुर (बिहार)
- **राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस (5 अक्टूबर):** डॉल्फिन संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा घोषित किया गया।
- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन: इसे समुद्री और नदी डॉल्फ़िन** दोनों के संरक्षण के लिए **15 अगस्त, 2020** को **पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा** लॉन्च किया गया था।
- **नमामि गंगे मिशन:** गंगा नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर पहल।

गंगा डॉल्फिन के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें - StudyIQ

स्रोत: The Hindu - Dolphin Census

इंडियाएआई मिशन और AI कोष

संदर्भ

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने AI कोष लॉन्च किया है।

इंडियाएआई मिशन क्या है?

- **इंडियाएआई मिशन MeitY के तहत एक सरकारी नेतृत्व वाली पहल है, जो मूल रूप से MeitY और नैसकॉम के बीच एक संयुक्त प्रयास था, लेकिन अब पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है।**
- **स्वीकृत बजट:** ₹10,371.92 करोड़
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **"भारत में एआई का निर्माण और भारत के लिए एआई का उपयोग"।**
  - भारत में एआई अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना।
  - स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को कम्प्यूटेशनल संसाधन और डेटासेट प्रदान करना।
  - स्वदेशी एआई आधार मॉडल के निर्माण का समर्थन करना।
- **भारत-एआई मिशन के स्तंभ:**

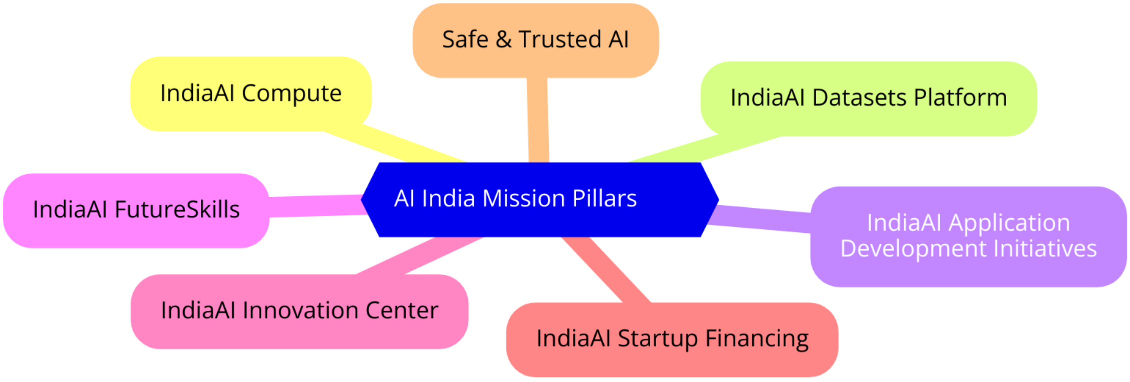

सामान्य कम्प्यूट सुविधा: GPU तक पहुंच सक्षम करना -

- **GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) क्या हैं:**
  - यह एक कंप्यूटर चिप है जो ग्राफिक्स और छवियों को प्रदर्शित करने के लिए गणितीय संक्रियाओं की तीव्र गणना करती है।
  - इसका उपयोग रचनात्मक सामग्री निर्माण, वीडियो संपादन, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में किया जाता है।
- **GPU AI के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?**
  - GPU इनका उपयोग मुख्य रूप से गेमिंग और ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए किया जाता है, लेकिन ये एआई अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
  - जनरेटिव एआई जैसे एआई मॉडल को विशाल मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए उच्च कम्प्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है।
- **इंडियाएआई का समाधान: एक साझा GPU पूल:**
  - कॉमन कंप्यूट सुविधा स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को उच्च प्रदर्शन वाले जीपीयू तक पहुंच प्रदान करती है, उन्हें अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती।
  - सरकार साझा कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भारत में उपलब्ध GPU के साथ डेटा केंद्रों को सूचीबद्ध कर रही है।
  - **वर्तमान स्थिति:** अब तक, **14,000 GPU अधिग्रहित कर लिए गए** हैं तथा उन्हें पैनलबद्ध डेटा केंद्रों द्वारा उपयोग हेतु चालू कर दिया गया है।

AI कोष क्या है?

- **इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एआई मॉडल विकास के लिए भारत-विशिष्ट डेटा प्रदान करना है।**
- एआई मॉडल अक्सर पश्चिमी डेटासेट पर प्रशिक्षित होते हैं, जिसके कारण निम्नलिखित के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है:
  - **अंग्रेजी भाषा**
  - **विकसित देशों का दृष्टिकोण**
- **AI कोष का लक्ष्य भारतीय भाषा डेटासेट और क्षेत्र-विशिष्ट डेटा प्रदान करके इस पूर्वाग्रह को कम करना है।**
- **AI कोष की मुख्य विशेषताएं:**
  - एआई शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए भारतीय डेटासेट प्रदान करता है।
  - विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद मॉडल शामिल हैं।
  - भारत-विशिष्ट जनरेटिव एआई मॉडल के निर्माण में एआई फर्मों को समर्थन देता है।

स्रोत: **The Hindu - AI Kosha**

माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना

संदर्भ

केंद्र सरकार ने **मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को** आधिकारिक तौर पर **भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है**।

माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में -

- **अवस्थिति:** मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में चंबल क्षेत्र में स्थित है।
- यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जिसमें पठार और जंगल दोनों शामिल हैं।
- 1958 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित होने से पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान का शाही शिकारगाह के रूप में उपयोग किए जाने का एक लंबा इतिहास रहा है।
    - **सिंधिया राजवंश**, विशेषकर ग्वालियर के महाराजा, इस पार्क का उपयोग अपने शिकार संरक्षण के रूप में करते थे
    - **इसका नाम ग्वालियर के एक प्रमुख शासक माधो राव सिंधिया के नाम पर रखा गया था।**
- **बहने वाली नदियाँ:** मनिहार।
- **वन्यजीव और जैव विविधता:**
    - **बाघ:** वर्तमान में **पांच बाघ** मौजूद हैं, जिनमें **दो शावक भी शामिल हैं**।
    - **अन्य स्तनधारी:** इसमें तेंदुए, लकड़बग्घा, सियार, सांभर हिरण, चीतल (चित्तीदार हिरण), नीलगाय (नीला बैल), चिंकारा (भारतीय हिरन) और जंगली सूअर शामिल हैं।
    - **पक्षी:** चित्रित सारस, मोर, सफेद छाती वाले किंगफिशर और विभिन्न प्रवासी पक्षी।
    - **झीलें: साख्य सागर झील। (रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि) और माधव सागर झील।**

तथ्य

- **भारत में कुल टाइगर रिजर्व: 58**
    - **56वाँ-** गुरु घासीदास - तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व -छत्तीसगढ़।
    - **57वाँ -** रातापानी टाइगर रिजर्व - मध्य प्रदेश।
    - **58वाँ -** माधव राष्ट्रीय उद्यान - मध्य प्रदेश।
- **भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हैं: 9**
- **इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं : 11**
- **भारत में विश्व की 70% से अधिक बाघ आबादी रहती है।**
- **भारत में कुल बाघ: 3682**
    - **(1)** मध्य प्रदेश - 785 **(2)** कर्नाटक - 563 **(3)** उत्तराखंड – 560

स्रोत: **The Hindu - Madhav NP**

भारतीय वैज्ञानिकों ने जालसाजी से निपटने के लिए सुरक्षित स्याही विकसित की

संदर्भ

आईएनएसटी मोहाली और बीएआरसी मुंबई के वैज्ञानिकों ने **स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड (Sr_2BiF_7) नैनोकणों का उपयोग करके एक नई फ्लोरोसेंट स्याही विकसित की है।**

नई स्याही के बारे में -

- **अधिकांश सुरक्षा स्याही या तो पराबैंगनी (UV) प्रकाश या अवरक्त (IR) प्रकाश में चमकती हैं, लेकिन दोनों में नहीं।**
- **यह नई स्याही UV और IR दोनों प्रकाश में चमकती है, जिससे जालसाजों के लिए इसकी नकल करना कठिन हो जाता है।**
- **यह किस चीज़ से बनी है?**
  - स्याही में **सूक्ष्म नैनोकण**(अति सूक्ष्म कण, जिनका आकार 100 नैनोमीटर से भी कम होता है) होते हैं।
  - ये कण **स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड (Sr_2BiF_7)** और **विशेष तत्वों (एर्बियम और यटरबियम) से बने होते हैं जो उन्हें चमकने में मदद करते हैं।**
- **यह कैसे चमकती है -** जब स्याही पर विभिन्न प्रकार के प्रकाश चमकते हैं, तो यह विभिन्न रंगों में चमकती है:
  - **365 एनएम यूवी प्रकाश → नीला**
  - **395 एनएम यूवी प्रकाश → मैजेंटा**
  - **980 एनएम अवरक्त प्रकाश → नारंगी-लाल**
  - यह अद्वितीय बहुरंगी चमक जालसाजों के लिए नकली उत्पाद बनाना बहुत कठिन बना देती है।
- **इसका उपयोग कहां किया जा सकता है?**
  - **नकली उत्पादों को रोकने के लिए इसे करेंसी नोट, चेक, पासपोर्ट और ब्रांडेड उत्पादों पर मुद्रित किया जा सकता है ।**
  - **विभिन्न तापमान, आर्द्रता और प्रकाश की स्थिति** में भी काम करती है।

सुरक्षा मुद्रण(Security Printing) का महत्व -

- **सुरक्षा मुद्रण बैंक नोटों, चेकों, पासपोर्ट, ब्रांडेड उपभोक्ता वस्तुओं और फार्मास्यूटिकल्स में जालसाजी को रोकती है।**
- **सुरक्षा मुद्रण में प्रयुक्त विशेषताएँ:**
  - **मनुष्यों को दिखाई देने योग्य**: ऑप्टिकली परिवर्तनशील स्याही, वॉटरमार्क, होलोग्राम, सुरक्षा धागे, उभरी हुई आकृतियाँ, बदलती बनावट।
  - **मशीन-पठनीय**: आरएफआईडी चिप्स (पासपोर्ट में प्रयुक्त), अदृश्य बारकोड, डिजिटल वॉटरमार्क, होलोग्राम।

स्रोत: The Hindu - Indian team makes doubly secure ink

सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क और CGST अधिनियमों के तहत गिरफ्तारी के अधिकार को सीमित किया

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने **राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ** के मामले में **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 के तहत अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियों को सीमित कर दिया है।**

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य निर्णय -

- **गिरफ़्तारी के लिए प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय**: सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गिरफ़्तारी करते समय कस्टम और जीएसटी अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों की तरह ही सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए । इसमें शामिल हैं:
    - गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
    - गिरफ्तारी के बारे में परिवार के किसी सदस्य या मित्र को सूचित करना।
    - पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को वकील के साथ उपस्थित रहने की अनुमति देना।
- **केजरीवाल के फैसले का सीमा शुल्क और जीएसटी गिरफ्तारियों तक विस्तार:**
    - अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।
    - राधिका अग्रवाल मामले में न्यायालय ने इन सिद्धांतों को सीमा शुल्क और सी.जी.एस.टी. अधिनियम के तहत गिरफ्तारियों तक विस्तारित किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया:
    - कर भुगतान के लिए गिरफ्तारी की धमकी नहीं दी जाती।
    - अधिकारी गिरफ्तारी से पहले उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं

सीमा शुल्क और CGST अधिनियमों के तहत गिरफ्तारी की शक्ति

- **सीमा शुल्क अधिनियम और CGST अधिनियम दोनों ही कुछ अपराधों को "संज्ञेय" के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जिसका अर्थ है कि मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना भी गिरफ्तारी की जा सकती है।**
- **उदाहरण: सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104(4)** के तहत **50 लाख रुपये** से अधिक का सीमा शुल्क चोरी एक संज्ञेय अपराध है।

गिरफ़्तारी के लिए तीन प्रमुख आवश्यकताएँ -

- **कब्जे में सामग्री:**
    - आरोपी को दोषी साबित करने वाले ठोस सबूत होने चाहिए।
    - गिरफ्तारी करने से पहले अधिकारियों को अपना तर्क लिखित रूप में दर्ज करना होगा।
    - वे अभियुक्त की निर्दोषता का समर्थन करने वाले साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी "सिर्फ़ हवा में या संदेह के आधार पर नहीं की जा सकती।"
- **विश्वास करने के कारण:**
    - अधिकारियों को भौतिक साक्ष्य के आधार पर यह "विश्वास करने के कारण" दर्ज करने होंगे कि अभियुक्त दोषी है।
    - अदालतें इन कारणों के गुण-दोष पर सवाल नहीं उठा सकतीं, लेकिन यह जांच कर सकती हैं कि क्या वे उचित साक्ष्य पर आधारित हैं।
- **अभियुक्त को गिरफ़्तारी का आधार प्रदान करना:**

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिए।
- इससे उन्हें अदालत में गिरफ्तारी को चुनौती देने या जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल जाती है।
- इस जानकारी के बिना, गिरफ्तार व्यक्ति कानूनी रूप से नुकसान में रहेगा।

स्रोत: Indian Express - Restriction of arrest powers

स्मार्ट प्रोटीन(Smart Proteins)

संदर्भ

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) स्मार्ट प्रोटीन विकसित करने के लिए बायोई3 पहल के अंतर्गत अनुसंधान को वित्तपोषित कर रहा है।

स्मार्ट प्रोटीन के बारे में -

- **स्मार्ट प्रोटीन वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत हैं जिन्हें वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों का उपयोग करके मांस, डेयरी और अंडे जैसे पारंपरिक प्रोटीन स्रोतों के स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य की नकल करने के लिए विकसित किया गया है।**
- इन प्रोटीनों को प्रोटीन की कमी और खाद्य सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए टिकाऊ, संसाधन-कुशल और जलवायु के अनुकूल बनाया गया है।

स्मार्ट प्रोटीन के प्रकार -

- **किण्वन-व्युत्पन्न प्रोटीन:**
  - प्रोटीन सूक्ष्मजीवों जैसे शैवाल, बैक्टीरिया और कवक से प्राप्त होते हैं ।
  - ये सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रूप से प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, जिन्हें खाद्य सामग्री में संसाधित किया जा सकता है।
- **पादप-आधारित प्रोटीन:**
  - पौधों से निकाले गए प्रोटीन जिन्हें मांस, डेयरी या अंडे जैसा दिखने के लिए संशोधित किया जा सकता है। जैसे सोया प्रोटीन, मटर प्रोटीन, चावल प्रोटीन आदि।
- **कोशिका-संवर्धित प्रोटीन:**
  - जानवरों की कोशिकाओं को प्रयोगशाला में उगाया जाता है ताकि जानवरों को पालने और मारने की ज़रूरत के बिना असली मांस का उत्पादन किया जा सके। उदाहरण के लिए, संवर्धित चिकन, गाय का मांस, मछली आदि।

स्मार्ट प्रोटीन विकास में चुनौतियाँ -

- **उच्च उत्पादन लागत** - प्रौद्योगिकी अभी भी विकसित हो रही है, जिससे स्मार्ट प्रोटीन महंगे हो रहे हैं।
- **उपभोक्ता स्वीकृति** - स्वाद, बनावट और सांस्कृतिक प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **विनियामक अनुमोदन** - खाद्य सुरक्षा कानून और अनुमोदन देश के अनुसार अलग-अलग होते हैं।
- **उत्पादन का विस्तार** - कम लागत पर मांग को पूरा करने के लिए कुशल विनिर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

स्रोत: **Indian Express - Smart Proteins**

समाचार संक्षेप में

हंतावायरस(HantaVirus)

- **यह एक कृंतक जनित वायरस है जो मनुष्यों में गंभीर श्वसन या गुर्दे संबंधी रोग पैदा करता है।**
- **इस रोग की मृत्यु दर बहुत अधिक है।**
- **हंतावायरस से होने वाली दो मुख्य बीमारियाँ हैं:**
  - **हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS)** - उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है।
  - **रेनल सिंड्रोम के साथ रक्तस्रावी बुखार (HFRS)** - यूरोप और एशिया में पाया जाता है।
- **हंतावायरस कैसे फैलता है?**
  - सूखे कृंतक मूत्र, मल या लार से वायरस कणों का साँस द्वारा अंदर जाना।
  - कृंतक मूत्र, मल या घोंसले के निर्माण की सामग्री के साथ सीधा संपर्क।
  - संक्रमित कृंतकों के काटने (दुर्लभ) से।
  - दूषित भोजन खाने या दूषित पानी पीने से।
  - यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता।
- **लक्षण:** फ्लू जैसे लक्षण (थकान, बुखार, मांसपेशियों में दर्द), सांस लेने में गंभीर तकलीफ,
- फेफड़े तरल पदार्थ से भर जाते हैं आदि।
- **वर्तमान में इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रारंभिक चिकित्सा देखभाल से जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है।**

स्रोत: Indian Express - Hanta Virus

अभ्यास खंजर-XII

- **यह भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त विशेष बल प्रशिक्षण अभ्यास है।**
- यह 2011 से दोनों देशों में बारी-बारी से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- **इसका 12वां संस्करण 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा।**
- इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी और उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के संचालन में सुधार करना है।

स्रोत: PIB - Khanjar

अंचार झील

- **अवस्थिति**: अंचार झील श्रीनगर, कश्मीर के बाहरी इलाके में स्थित है।
- **यह एक चैनल के माध्यम से डल झील से जुड़ी हुई है।**
- **जैव विविधता**: इस झील में समृद्ध जैव विविधता है, जो विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों को सहारा देती है।
- **चाई-ए-गर्द शिकार (छाया में मछली पकड़ना) कश्मीर में मछली पकड़ने की एक पारंपरिक विधि है। इस झील में इसका अभ्यास किया जाता है।**

- **प्रदूषण संबंधी मुद्दे**:
  - बढ़ते शहरीकरण और अपशिष्ट निपटान के कारण गंभीर प्रदूषण हुआ है।
  - दूषित जल जलीय जीवन और झील से प्राप्त उपज की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है - कमल के तने की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कमल का तना (नादरू) - एक जलीय व्यंजन

- **कमल का तना, जिसे कश्मीर में नदरू कहा जाता है, कमल के पौधे की एक खाद्य जड़ है।**
- यह अपनी **कुरकुरी बनावट और पोषण संबंधी लाभों के लिए जाना जाता है।**
- **यह कहां पाया जाता है? मुख्य रूप से अंचार झील, डल झील** और कश्मीर के **अन्य जल निकायों** में।

- **पाककला महत्व**: इसका उपयोग पारंपरिक व्यंजनों जैसे **नद्रु यखनी (दही आधारित करी)** और **नद्रु मोंजे आदि में किया जाता है।**

स्रोत: The Hindu - Taste of a frigid lake

जयश्री वेन्कटेसन

- **चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह-संस्थापक जयश्री वेंकटेसन को आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।**
- **वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं।**
- उन्हें विशेष रूप से तमिलनाडु में आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
- **पल्लीकरनई मार्श (चेन्नई की अंतिम बची हुई आर्द्रभूमि) का संरक्षण:**
  - जयश्री ने भारत के **सबसे महत्वपूर्ण शहरी आर्द्रभूमियों** में से एक, **पल्लीकरनई मार्श के दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए दशकों तक काम किया है।**

रामसर पुरस्कार के बारे में -

- **रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण पुरस्कार विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सम्मान है, जो आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन द्वारा उन व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत उपयोग में उत्कृष्ट योगदान दिया है।**
- **पुरस्कार की श्रेणियाँ:**
  - **आर्द्रभूमियों का विवेकपूर्ण उपयोग** - उनके पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखते हुए आर्द्रभूमियों के स्थायी प्रबंधन के प्रयासों को मान्यता देना।
  - **आर्द्रभूमि नवाचार** - आर्द्रभूमि संरक्षण में नवीन तकनीकों, नीतियों या प्रौद्योगिकियों का सम्मान करना।
  - **युवा आर्द्रभूमि चैंपियन** - आर्द्रभूमि संरक्षण में युवा व्यक्तियों या युवा समूहों के योगदान को मान्यता देना।

स्रोत: Indian Express - Jayshree Vencatesan

असीरगढ़ किले में खज़ाना

- मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ऐतिहासिक असीरगढ़ किले के पास मुगलकालीन खजाने के छिपे होने की अफवाह के कारण खुदाई का काम जोरों पर है।

असीरगढ़ किले के बारे में: 'दक्कन की कुंजी' -

- **अवस्थिति: सतपुड़ा पर्वतमाला** में स्थित, **बुरहानपुर शहर (मध्य प्रदेश) से लगभग 20 किमी. दूर।**
- यह समुद्र तल से 701 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जहां से आसपास की भूमि का शानदार दृश्य दिखाई देता है।
- **असीरगढ़ किले के साथ दबे खजाने, विशेषकर मुगल काल के सोने के बारे में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं।**

ऐतिहासिक महत्व -

- **प्रारंभिक इतिहास और निर्माण:**
  - **इसे 15वीं शताब्दी में स्थानीय सरदार आसा अहीर ने बनवाया था।**
  - बाद में खानदेश के फारुकी वंश ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, जिन्होंने बुरहानपुर पर शासन किया।
- **मुगल काल:**
  - अकबर ने 1601 में लंबी घेराबंदी के बाद असीरगढ़ पर कब्ज़ा कर लिया, जो खानदेश की मुग़ल साम्राज्य में अंतिम विजय थी।

- यह किला दक्कन में मुग़ल अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा बन गया।

- **बाद में नियंत्रण:**
  - **1819 में यह मराठों, सिंधियाओं और अंततः अंग्रेजों के हाथों में चला गया।**
  - अंग्रेजों ने इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण इसे एक गैरीसन के रूप में इस्तेमाल किया।

स्रोत:TOI - **Asirgarh Fort**

विस्तृत कवरेज

भारत में प्रधान पति (सरपंच पति) प्रथा

संदर्भ

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने **द वायरल फीवर (TVF)** के साथ मिलकर **"असली प्रधान कौन?" नामक कार्यक्रम** का निर्माण किया है, **जिसमें "प्रधान पति प्रथा"** के मुद्दे सहित ग्रामीण शासन में प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- यह पहल हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल की एक रिपोर्ट के मद्देनजर की गई है जिसका शीर्षक था -"पंचायती राज प्रणालियों और संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिका में परिवर्तन: प्रॉक्सी भागीदारी के प्रयासों को समाप्त करना।"

MoPR द्वारा पैनल -
- **गठन तिथि**: 19 सितंबर, 2023
  - यह 6 जुलाई, 2023 के **सर्वोच्च न्यायालय** के आदेश का अनुवर्ती आदेश था।
- **उद्देश्य:** महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दे की जांच करना तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की भी जांच करना।

पंचायती राज संस्थाओं(PRI) में प्रॉक्सी नेतृत्व समाप्त करने का महत्व -

- **महिला नेताओं को सशक्त बनाना:** यह सुनिश्चित करना कि महिला सरपंचों के पास वास्तविक अधिकार हों, आरक्षण नीतियों के उद्देश्य के अनुरूप है और वास्तविक लिंग सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
- **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** महिला नेता महिलाओं, बच्चों और हाशिए पर पड़े समूहों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे संतुलित ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाना:** महिला सरपंचों को सशक्त बनाने से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है और स्थानीय शासन में जनता का विश्वास बहाल होता है।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** शासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी से लिंग-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलती है तथा समावेशी आर्थिक नीतियों को बढ़ावा मिलता है।
- **सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना:** महिला सरपंचों के नेतृत्व वाले गांव अक्सर मातृ स्वास्थ्य, स्कूल के बुनियादी ढांचे और पोषण कार्यक्रमों में सुधार करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि:** मजबूत महिला नेतृत्व वाली पंचायतों में भ्रष्टाचार कम होता है और निधि प्रबंधन बेहतर होता है।
- **नीतिगत मान्यता और समर्थन:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की भूमिका को आवश्यक बताया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) को किन मुद्दों का सामना करना पड़ता है?

- **लैंगिक भेदभाव और प्रॉक्सी नेतृत्व**: कई EWR को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और अक्सर पुरुष रिश्तेदारों के कारण उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है, जो वास्तविक नेता के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उनका अधिकार कम हो जाता है।
- **सीमित राजनीतिक अनुभव और शिक्षा:** आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के पास अक्सर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम राजनीतिक अनुभव और कम शैक्षिक योग्यता होती है, जिससे शासन की भूमिकाओं में उनका आत्मविश्वास और प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

- **आर्थिक निर्भरता:** परिवार के पुरुष सदस्यों पर वित्तीय निर्भरता EWRs की स्वायत्तता और राजनीतिक मामलों में निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करती है।
- **दोहरी जिम्मेदारियां:** घरेलू कर्तव्यों को राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिससे EWRs के पास शासन के लिए समर्पित समय और ऊर्जा सीमित हो जाती है।
- **सामाजिक और जाति-आधारित भेदभाव:** दलितों और आदिवासियों जैसे हाशिए के समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अतिरिक्त भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी भागीदारी में और बाधा आती है।
- **डिजिटल डिवाइड:** डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच और कम डिजिटल साक्षरता, आधुनिक शासन प्रक्रियाओं के साथ प्रभावी रूप से जुड़ने की EWRs की क्षमता में बाधा डालती है।

PRI में EWR की स्थिति -
- **तीन स्तरों पर लगभग 2.63 लाख पंचायतें हैं:**
  - ग्राम पंचायत (गांव स्तर)
  - पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर)
  - जिला परिषद (जिला स्तर)
  - **इन पंचायतों में 32.29 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।**
- कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में से **15.03 लाख (46.6%)** महिलाएं हैं।
- फिर भी निर्णय लेने में महिलाओं का प्रभाव सीमित बना हुआ है।
- **'प्रधान पति', 'सरपंच पति' या 'मुखिया पति' की प्रथा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में अधिक आम है।**

- **ज्ञान और प्रशिक्षण का अभाव:** कई EWR में पंचायती राज अधिनियम और संबंधित शासन नियमों की पर्याप्त समझ का अभाव है, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है।
- **सीमित निर्णय लेने की शक्ति:** पद पर आसीन होने के बावजूद, EWRs का अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में ग्राम परिषदों में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर अक्सर कम प्रभाव होता है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार और अन्य पहल -
- **संवैधानिक प्रावधान: 73वें संशोधन** में पंचायती राज संस्थाओं में **महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तथा कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है।**
- **क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** पंचायती राज मंत्रालय महिला प्रतिनिधियों के शासन कौशल को मजबूत करने के लिए **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत प्रशिक्षण आयोजित करता है।**
  - **सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान** महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके नेतृत्व को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करता है।
  - महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्यों को अलग से **महिला सभाएं** और **वार्ड सभाएं आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।**
- **डिजिटल साक्षरता पहल: डिजिटल इंडिया** और **ई-पंचायत** जैसे कार्यक्रम महिला नेताओं को बेहतर निर्णय लेने और शासन के लिए डिजिटल उपकरण प्रदान करते हैं।
- **एनजीओ समर्थन: PRIA** (पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया) और **यूएन विमेन** जैसे संगठन महिला सरपंचों के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं।
- **राज्य स्तरीय नवाचार: केरल** और **राजस्थान** जैसे राज्यों ने स्थानीय शासन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लिंग-संवेदनशील नीतियां और समर्थन तंत्र शुरू किए हैं।

पंचायती राज मंत्रालय के पैनल द्वारा रिपोर्ट में सुझाए गए प्रमुख सुधार -
- **प्रॉक्सी नेतृत्व के लिए सख्त दंड:** पंचायती राज संस्थाओं (PRI) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने वाले पुरुष रिश्तेदारों के सिद्ध मामलों के लिए '**अनुकरणीय दंड' लागू करें।**
- **संरचनात्मक और नीतिगत सुधार:**
  - पंचायत समिति और वार्ड स्तरीय समितियों में लिंग-विशिष्ट कोटा लागू करना(केरल के मॉडल के समान)।

- प्रॉक्सी नेतृत्व के विरुद्ध प्रयासों को मान्यता देने के लिए वार्षिक 'प्रधान-विरोधी' पुरस्कार शुरू किया जाएगा।
- महिला प्रधानों के अधिकार को सुदृढ़ करने के लिए ग्राम सभाओं में सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करना।
- सहकर्मी समर्थन और सामूहिक निर्णय लेने के लिए महिला पंचायत नेताओं का एक संघ स्थापित करें।
- प्रॉक्सी नेतृत्व के बारे में गोपनीय शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और महिला निगरानी समितियां, सत्यापित मामलों में मुखबिर को पुरस्कार।

- **तकनीकी हस्तक्षेप:**
  - शासन कौशल में सुधार के लिए वी.आर. सिमुलेशन प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - वास्तविक समय कानूनी और शासन सहायता के लिए स्थानीय भाषाओं में एआई-संचालित क्वेरी-संचालित मार्गदर्शन विकसित करना।
  - त्वरित समस्या समाधान के लिए महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) को अधिकारियों के साथ जोड़ने के लिए व्हाट्सएप समूह बनाना।
  - प्रधानों की भागीदारी पर नज़र रखने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत निर्णय पोर्टल लॉन्च करना।
- **क्षमता निर्माण:** आईआईएमएस, आईआईटी/एनआईटी के साथ सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों और महिला विधायकों/सांसदों की भागीदारी से लेकर महिला प्रधानों को नेतृत्व प्रशिक्षण आदि।

स्रोत:

- **PIB: “Sarpanch Pati” Culture Under Spotlight in New Digital Campaign**
- **ORF: Elected Women Representatives in Local Rural Governments in India: Assessing the Impact and Challenges**

गंगा नदी की सफाई के लिए समग्र दृष्टिकोण

संदर्भ

राष्ट्रीय गंगा योजना को वर्ष 2025-26 के लिए 3,400 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है।

नमामि गंगे कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) -

- **लॉन्च किया गया: 2014**
- **अंतर्गत**: जल शक्ति मंत्रालय
- **उद्देश्य**:
  - **प्रदूषण में कमी**: गंगा में औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट के प्रवाह को कम करना।
  - **संरक्षण और पुनर्जीवन**: नदी और उसकी सहायक नदियों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बहाल करना।
  - **जैव विविधता संरक्षण**: गंगा डॉल्फिन जैसी जलीय प्रजातियों का संरक्षण करना।
  - **सार्वजनिक भागीदारी**: सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता को प्रोत्साहित करना।
  - **वनरोपण और नदी तट विकास**: नदी तट पर हरित आवरण को बढ़ाना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- **कार्यान्वयनकर्ता**: **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)**, जिसे **2011 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत स्थापित किया गया था।
  - NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- **प्रगति**:
  - 40121.48 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 492 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
  - इनमें से 307 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब चालू हैं।
  - सीवेज अवसंरचना से संबंधित 206 प्रभावशाली परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।
  - इन सीवेज अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 33003.63 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की गई है।
  - इनमें से 127 सीवरेज परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं, जो प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
  - इसके अतिरिक्त, जैव विविधता और वनरोपण को समर्पित 56 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
  - इन परियोजनाओं को 905.62 करोड़ रुपये से अधिक की वित्त पोषण प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है।
  - उल्लेखनीय रूप से, जैव विविधता और वनरोपण पर केन्द्रित 39 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं, जिससे गंगा बेसिन के पारिस्थितिक संतुलन में वृद्धि हुई है।

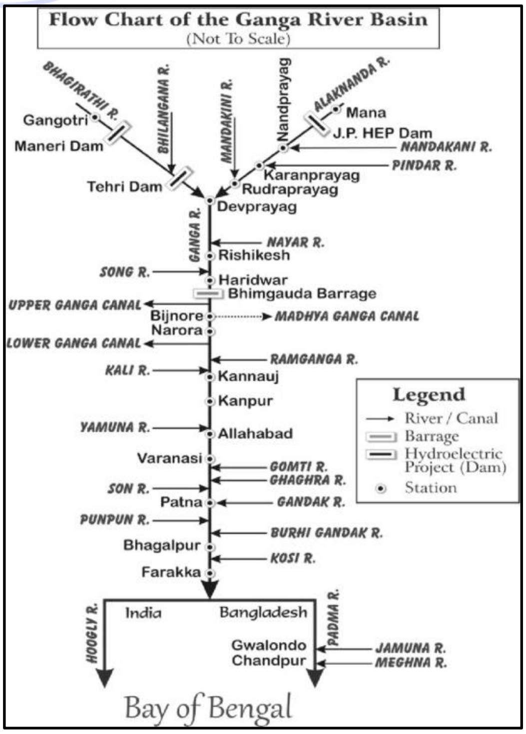

गंगा नदी -

- **गंगा नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है, जो देश के 27% भूभाग को कवर करता है।**
- **गंगा बेसिन का लगभग 79% भाग भारत में है।**

- इस बेसिन में **11 राज्य शामिल हैं** - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली।
- **बेसिन भारत की लगभग 47% आबादी को आजीविका प्रदान करता है, जिससे यह आजीविका और कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है।**
- बेसिन का लगभग **65.57% भाग कृषि के लिए उपयोग किया जाता है**, जबकि **3.47%** भाग पर **जल निकाय हैं।**
- कुल वर्षा का 35.5% प्राप्त करने के बावजूद, गंगा नदी बेसिन साबरमती बेसिन के बाद दूसरा सबसे अधिक जल-तनावग्रस्त बेसिन बना हुआ है, जिसमें भारत के प्रमुख नदी बेसिनों में औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक वर्षा जल का केवल 39% ही प्राप्त होता है।

गंगा की सफाई के लिए समग्र दृष्टिकोण -

- **प्रदूषण नियंत्रण और बुनियादी ढांचे का विकास:** हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) और डिजाइन-बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीओटी) जैसे मॉडलों के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर नेटवर्क का निर्माण।
    - सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना, जैसे जाजमऊ, बंथर और मथुरा सीईटीपी।
    - अनुपचारित सीवेज निर्वहन को रोकने के लिए दुर्गा नाला और वरुणा सहायक नदी जैसे नालों को रोकना और उनका मार्ग बदलना।
- **अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और प्रबंधन:** उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे का विकास, ताकि राज्यों को आर्थिक मॉडल और टिकाऊ प्रथाओं पर मार्गदर्शन दिया जा सके।
    - उपचारित जल के पुनः उपयोग पर नीति निर्माताओं और शहरी अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन पुस्तिका का परिचय।
    - नगर निगमों को उपचारित जल को गैर-पेय उपयोगों (जैसे, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग) के लिए पुनःचक्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **पारिस्थितिकी बहाली और जैव विविधता संरक्षण:** प्राकृतिक आवासों को बहाल करने के लिए 7 जैव विविधता पार्कों की स्थापना और 5 प्राथमिकता वाले आर्द्रभूमियों का संरक्षण।
    - 143.8 लाख भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी) फिंगरलिंग्स का पालन और गंगा डॉल्फिन के लिए शिकार आधार में सुधार जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जलीय प्रजातियों का संरक्षण।
    - गंगा के किनारे 33,024 हेक्टेयर भूमि पर वनरोपण हेतु वानिकी हस्तक्षेप परियोजना का कार्यान्वयन।

स्रोत: PIB: A Holistic Approach for Cleanliness of River Ganga

केस स्टडी

केस स्टडी: संवेदना अभियान - दुर्ग, छत्तीसगढ़ में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटना

पृष्ठभूमि

वर्ष 2023 में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जिला प्रशासन ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बड़े पैमाने पर संबोधित करने के लिए संवेदना अभियान शुरू किया। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अक्सर अनदेखी रह जाती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में कलंक और जागरूकता की कमी के कारण। इस पहल का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित व्यक्तियों और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत वाले लोगों की पहचान करना, उनका इलाज करना और उन्हें अनुवर्ती देखभाल प्रदान करना है।

उद्देश्य -

- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और उपचार।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- सुलभ स्वास्थ्य सेवा और अनुवर्ती सेवाएं प्रदान करना।

कार्यान्वयन

- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** 22 डॉक्टरों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) से ऑनलाइन और व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।
    - कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों की पहचान करने और कलंक को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- **घर-घर सर्वेक्षण:** सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षणों के लिए प्रारंभिक जांच की।
    - मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए 10 प्रश्नों वाले गूगल फॉर्म का उपयोग करके एक संरचित घर-घर सर्वेक्षण किया।
- **जागरूकता अभियान:** कलंक को कम करने और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों, बाजारों और मेलों में जन जागरूकता अभियान चलाए गए।
- **जांच और उपचार:** सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए मरीजों की जांच की गई तथा उन्हें परामर्श और दवा उपलब्ध कराई गई।
    - सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से अनुवर्ती देखभाल और दवा की पुनःपूर्ति उपलब्ध कराई गई।

परिणाम

- **कवरेज: 3 लाख से अधिक परिवारों का** सर्वेक्षण किया गया।
- **पहचान**: लगभग **3,000 रोगियों** में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई गईं।
- **उपचार: 2,721 रोगियों** को उपचार प्रदान किया गया; **1,376 रोगियों** को अनुवर्ती देखभाल प्रदान की गई।
- **फिजियोथेरेपी**: फिजियोथेरेपी की आवश्यकता वाले **3,884 रोगियों की** पहचान की गई और उनका उपचार किया गया, जिनमें **2,900 घर पर** और **800 अस्पतालों में थे**।
- **आत्मघाती मामले और सिज़ोफ्रेनिया**: सिज़ोफ्रेनिया और आत्मघाती प्रवृत्ति जैसे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के मामलों की पहचान की गई और उनका इलाज किया गया।
- **पहुंच**: स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवा की पुनःपूर्ति और परामर्श उपलब्ध कराया गया।

चुनौतियां

- **कलंक और जागरूकता का अभाव**: ग्रामीण समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था या गलत समझा जाता था।
- **पहचान संबंधी बाधाएं**: सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शुरू में मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों की पहचान करने में कठिनाई हुई।
- **अनुवर्ती देखभाल**: मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए लगातार अनुवर्ती देखभाल सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण था।

सफलता की कहानियाँ -

- बदमाशी के कारण अवसाद से पीड़ित एक किशोर लड़के की पहचान की गई और काउंसलिंग के माध्यम से उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया।
- सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित एक लड़की का निदान किया गया और उसे नियमित उपचार और देखभाल प्रदान की गई।
- यहां तक कि सड़कों पर घूमने वाले लोगों सहित गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों की भी पहचान की गई और उन्हें उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

मान्यता

संवेदना अभियान को **इंडियन एक्सप्रेस** द्वारा **उत्कृष्टता प्रशासन पुरस्कार 2024** में **हेल्थकेयर श्रेणी के अंतर्गत मान्यता दी गई**।

स्रोत: Indian Express: A Chhattisgarh district that set out to address mental health issues sees results